राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

दिनांक 16.07.2021 को अपराह्न 4.00 बजे सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही

कार्यवाही

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी के निमित्त माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उन्होंने सर्वप्रथम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि निर्वाचन जैसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य है एवं इसके सफल संचालन के लिए जिला पदाधिकारी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में उनका व्यक्तिगत अनुश्रवण अपेक्षित है। तत्पश्चात कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. ई.वी.एम. प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में;

(क) ई.वी.एम. कोषांग का गठन एवं उसका पोर्टल में प्रविष्टि

– सभी जिलों द्वारा प्रविष्टी कर दी गई है। आयोग द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

(ख) सम्बद्ध राज्य से ई.वी.एम. प्राप्त करने हेतु टीम प्रस्थान

– सभी जिलों से टीम प्रस्थान कर चुकी है।

(ग) आवंटन के अनुरूप ई.वी.एम. की प्राप्ति

– समीक्षा में पाया गया कि राजस्थान, केरल, त्रिपुरा से कर्णांकित संख्या से कुछ कम ई.वी.एम. प्राप्त होने की सूचना है। शेष राज्यों से लगभग पूर्ण कर्णांकित ई.वी.एम. प्राप्त हो रहे हैं।

निर्देश – जिलों के टीम जो ई.वी.एम. लाने दूसरे राज्य में गये हैं, उनसे आयोग द्वारा दिये गये 'मोबाईल ऐप' में दृढ़तापूर्वक प्रविष्टि कराया जाय जिससे कि आयोग को वास्तविक रूप से प्राप्त हो रहे ई.वी.एम. की संख्या का पता चल सके। ताकि इस स्तर से ई.वी.एम. का द्वितीय संबंधन सभी EVM deficit जिलों की EVM surplus जिले से पूर्ण किया जा सके।

(घ) अन्तिम रूप से ई.वी.एम. लेकर जिले तक पहुँचने की तिथि

– समीक्षा में पाया गया कि अन्य राज्यों से लगभग 16 जिलों में ई.वी.एम. प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष जिलों में दिनांक 20.07.2021 तक निश्चित पहुँच जायेंगे। EVM द्वारा निर्वाचन कराने हेतु यह एक अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे जिलाधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया गया है। इस हेतु सभी जिला पदाधिकारी एवं उनकी टीम बधाई के पात्र हैं।

D:\pm5\P_E_2021/266

– किशनगंज, पश्चिम चम्पारण, कटिहार, सिवान, जमुई, जहानाबाद, बक्सर जिले द्वारा निर्धारित तिथि 15.07.2021 तक ई.वी.एम. मंगाये जाने संबंधी कार्य को सर्वोत्तम बताया गया एवं वे इस हेतु विशेष बधाई के पात्र हैं।

निदेश – जैसे-जैसे जिलों में ई.वी.एम. प्राप्त हो रहे हैं, उसकी सूचना आयोग अवश्य ससमय दी जाय। साथ ही जिले की ई.वी.एम. की आवश्यकता का आकलन कर ली जाय। यदि आयोग द्वारा किये गये आकलन में कोई त्रुटि हो तो अविलम्ब इसे आयोग के संज्ञान में लाया जाय ताकि उसका निराकरण किया जा सके।

(ङ) ई.वी.एम. प्राप्त होने के पश्चात उसका 'स्टॉक इन्ट्री' करना –

– ई.वी.एम. प्राप्त होने के पश्चात 'वारकोड प्रिन्ट' कर इ.वी.एम. पर चिपकाकर 'स्कैन' करवाये जाने की आवश्यकता है।

– समीक्षा में पाया गया कि खगड़िया, सिवान, किशनगंज एवं सहरसा जिले में ई.वी.एम. प्राप्त हो चुके हैं उनके जिले में 'वारकोड प्रिन्ट' कर इ.वी.एम. पर चिपकाकर 'स्कैन' कर भंडारित कराने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

– आयोग द्वारा खगड़िया, सिवान, किशनगंज एवं सहरसा द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रशंसा की गई।

निर्देश – जैसे-जैसे जिले में ई.वी.एम. प्राप्त हो रहे हैं उन्हें 'वारकोड प्रिन्ट' कर इ.वी.एम. पर चिपकाकर स्कैन कराकर भंडारित कराने का कार्य दिनांक 22.07.2021 तक सुनिश्चित की जाय। इसके लिए जितने टीम लगाने की आवश्यकता हो उतने टीम अवश्य लगायें। तत्पश्चात जिन जिलों में आवश्यकता से अधिक या कम ई.वी.एम. हैं उन जिलों का द्वितीय सम्बंधन आयोग द्वारा पुनः किया जायेगा। उक्त के अनुसार FLC के पूर्व उन ई.वी.एम को EVM surplus जिले से EVM deficit जिले द्वारा पूर्व में प्राप्ति संबंधी दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुये अपने जिले में लाया जायेगा एवं EVM Management System में 'स्कैन' कराकर भंडारित की जायेगी।

(च) ई.वी.एम. रखने हेतु वेयर हाऊस की व्यवस्था

– दिशा-निर्देश के अनुरूप ई.वी.एम. को सुरक्षित रखने हेतु वेयर हाऊस की व्यवस्था कर ली गयी है। पुनः इस हेतु सुनिश्चित हो लेंगे।

(छ) ई.वी.एम. के एफ.एल.सी. की तैयारी

– ई.भी.एम. के एफ.एल.सी. टीम तैयार कर ली जाये। FLC का कार्य 20 दिनों में अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना है। FLC हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वा दिये गये निदेश एवं आयोग स्तर से दिये जाने वाले निदेश का अनुपालन करेंगे।

(ज) एफ.एल.सी. कार्य संबंधी टीम में ई.वी.एम. मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति

– मतदान के दिन प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक 'ई.वी.एम. मास्टर ट्रेनर' की प्रतिनियुक्ति की जानी है, इसलिए अभी से मास्टर ट्रेनर को चिन्हित कर एफ.एल.सी. कार्य में अवश्य संलग्न की जाय ताकि मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण एवं मतदान दिवस को खराब ई.वी.एम. को बदलने आदि में सुविधाजनक हो।

(झ) एफ.एल.सी. के पश्चात ई.वी.एम. को सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(ञ) प्रखंड में इ.वी.एम. सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की व्यवस्था

– एफ.एल.सी. के पश्चात चरणवार मतदान हेतु प्रखंड में इ.वी.एम. सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह दिनांक 30.07.2021 तक चिह्नित कर तैयार कर ली जाय।

(छ) आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. के संबंध में

– समीक्षा में पाया गया कि आयोग द्वारा स्मार के बावजूद वैशाली, सीतामढ़ी एवं मधुबनी से आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. की अद्यतन सूचना नहीं दी गई है।

निर्देश – वैशाली, सीतामढ़ी एवं मधुबनी आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. की सूचना दिनांक 20.07.2021 तक देना सुनिश्चित करें।

सभी जिलों द्वारा आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. को भी 'स्टॉक इन्ट्री' करा दें। प्राप्ति स्थान पर SEC, Bihar प्रविष्टी कराया जाये। इन ई.वी.एम. का भी एफ.एल.सी. कराकर निर्वाचन हेतु उपयोग में लाया जाय।

2. **नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर अन्तिम रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करना**

(क) मतदाता सूची से नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं को चिह्नित कर पंचायत क्षेत्र से अलग करना

– जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में नगरपालिका में पड़ने वाले क्षेत्र को चिह्नित कर दिया गया है, उन क्षेत्रों के मतदाताओं को पंचायत क्षेत्र से अलग किया जाना है।

निर्देश – मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में आयोग के पत्रांक 1506 दिनांक 12.11.2020 द्वारा विस्तृत निदेश दिये गये हैं। वर्तमान में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 23 के आलोक में मतदाता सूची में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) मतदाता सूची से नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता, जो अब ग्राम पंचायत क्षेत्र के नहीं रहे, से संबंधित संशोधन संबंधी कार्य दिनांक 10.08.2021 तक सुनिश्चित की जाय। इस संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 20.07.2021 तक निर्देश उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ख) पंचायत के वार्ड विशेष जो आंशिक रूप से अपने स्थिति में बने हुये हैं, उनके अन्तर्गत यदि मतदान केन्द्र नगरपालिका क्षेत्र में चले गये हैं, तो उस आंशिक वार्ड हेतु मतदान केन्द्र में संशोधन;

– समीक्षा में पाया गया कि नगरपालिक क्षेत्र में सम्मिलित हुए आंशिक क्षेत्र के मतदान केन्द्र चले गये हों या ऐसा वार्ड जिनमें किन्हीं कारणों से मतदान केन्द्र स्थापित न होकर अपने बगल वाले वार्ड में स्थापित हुये हों और वह वार्ड नगरपालिका क्षेत्र में जाने के कारण विलोपित हुये परन्तु उनका मतदान केन्द्र रह गया हो।

निर्देश - उपरोक्त स्थिति में वैसे सभी मतदान केन्द्रों को दिनांक 25.07.2021 तक चिह्नित कर ली जाय। यदि उन मतदान केन्द्रों को पुनः स्थापित किया जाना हो तो उस स्थिति में आयोग का अनुमोदन दिनांक 30.07.2021 तक अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय।

(ग) आदर्श मतदान केन्द्र बनाये जाने के संबंध में

– अगले बैठक में इस सन्दर्भ विस्तृत चर्चा की जायेगी। तत्संबंधी प्रस्ताव अगले बैठक में दी जाय।

3. **पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति में हुए विसंगति को दूर करने के संबंध में;**

– समीक्षा में पाया गया कि मधुबनी एवं रोहतास जिले को छोड़कर सभी जिलों द्वारा आरक्षण के अपलोड में पाये गये त्रुटियों का निराकरण कर आयोग को प्रतिवेदित किया गया है।

निर्देश – त्रुटि रहित एवं पारदर्शी तरीके से पंचायत क्षेत्र के आरक्षण अपलोड होने से अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन में क्षेत्र के आरक्षण संबंधी कोई असुविधा नहीं होगी। इस संवेदनशील विषय पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं इसका अनुश्रवण करें।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) मधुबनी एवं रोहतास अपने जिले संबंधित आरक्षण संबंधी त्रुटियों का निराकरण कराकर दिनांक 20.07.2021 तक 'अपलोड' कराना सुनिश्चित करें।

4. **मतपेटिका की वास्तविक स्थिति एवं उसके मरम्मति के साथ आवश्यकता का आकलन के संबंध में;**

– समीक्षा में पाया गया कि कई जिलों द्वारा मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिंसीग एवं रंगाई का कार्य कराया जा रहा है। पूर्णियाँ एवं सारण जिला द्वारा इसके लिए निविदा आमंत्रित किये हैं, जिलों द्वारा बताया गया कि उनका दर आयोग द्वारा निर्धारित दर के अन्तर्गत ही है।

निर्देश– ग्राम कचहरी के दो पद, यथा – सरपंच एवं पंच का मतदान मतपत्रों द्वारा कराये जाने हैं। इसलिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अधिकतम वाले मतदान केन्द्रों के आधार पर मतपेटिकाओं का आकलन कर लिया जाय, जिससे कि चरणवार सुगमतापूर्वक मतदान में उपयोग किया सके। मतपेटिका आकलन करते हुये प्रतिवेदन दिनांक 28.07.2021 तक आयोग को प्रेषित किया जाय।

5. **मतदान कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन**

– दिनांक 26.06.2021 एवं 03.07.2021 को हुये बैठक की कार्यवाही में निदेश दिये गये हैं। तदनुसार मतदान कार्मिको एवं सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन अवश्य कर ली जाय।

6. **मतदान सामग्री की तैयारी के संबंध में**

– ग्राम पंचायत के चार पद का मतदान ई.वी.एम. से तथा ग्राम कचहरी के दो पद का मतदान मतपेटिका/मतपत्र से कराये जाने के निमित्त जिलों में स्थापित मतदान केन्द्रों के हिसाब से आकलन कर उसकी व्यवस्था पूर्व की भाँति जिला द्वारा कर ली जाय।

7. अन्यान्य।

(क) मतपत्र –

(i) **ग्राम पंचायत** के चार पद, यथा – जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम

पंचायत मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद के ई.वी.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र का मुद्रण जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिकतम दो दिनों में सुनिश्चित कराये जायें,जिससे कि इ.वी.एम. 'कमिशनिंग' का कार्य ससमय प्रारम्भ हो सके। जिससे मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान हेतु ई.वी.एम. तैयार हो जायें।

(ii) **ग्राम कचहरी** के दो पद, यथा – सरपंच एवं पंच के पद पर मतदान हेतु मतपत्रों का मुद्रण सरस्वती प्रेस से, जिसमें ससमय निम्नलिखित कार्य किया जाना है –

(क) प्रपत्र-9 एवं तत्संबंधी व्यादेश भेजना (day 0 में email के माध्यम से)
(ख) मतपत्र का डिजाईन एवं प्रुफ जाँच आदि में अधिकतम दो दिनों का समय
(ग) दो दिन मुद्रण एवं एक दिन पैकेजिंग आदि में समय लगना
(घ) एक दिन मुद्रित मतपत्र को लेकर जिला में लाना
(ङ) मतदान से 48 घंटे पूर्व मतपत्र का विखड़ीकरण सुनिश्चित कराना

इसके लिए जिला के प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र-9 प्राप्त होने के अगले दिन प्रेस में निश्चित रूप से पहुँचना आवश्यक होगा। साथ ही त्रुटिरहित सुरक्षा सहित मतपत्र लाने हेतु आवश्यक टीम का ससमय पहुँचना सुनिश्चित कराने हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(ख) कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन –

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), शिवहर एवं वैशाली द्वारा आयोग स्तर से किये जा रहे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन कंडिकावार प्रेषित किया गया है। इसके लिए आयोग द्वारा उनके इस कार्य की सराहना (appreciate) की गई। शेष जिलों को भी इसी प्रकार अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया। कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन आयोग के वेबसाईट पर जिला के लॉगिन के माध्यम से 'अपलोड' की जाय।

(ग) उत्कृष्ट (best practices) एवं अभिनव (innovative) कार्य को आपस में बाँटना

जिलों द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट (best practices) एवं अभिनव (innovative) कार्य जो प्रभावकारी रहे हैं, से संबंधित डाक्यूमेन्ट, विडियो, फोटोग्राफ आदि आयोग को प्रेषित किया जाय ताकि उसका डॉक्यूमेन्टेसन किया जाय एवं अन्य जिलों को भी अनुकरण करने हेतु निदेशित किया जा सके।

(घ) मतदाता जागरूकता –

ई.वी.एम. एवं मतपेटिका/मतपत्र के माध्यम से हो रहे मतदान से संबंधित मतदाता जागरूकता के संबंध में जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस सन्दर्भ में भी जिलों से सुझाव मांगे गये। जिला पदाधिकारी मतदाता जागरूकता संबंधी सुझाव दिनांक 30.07.2021 तक आयोग को प्रेषित करें।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त हुये।

21/07/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

D:\pm5\P_E_2021/270

ज्ञापांक –पं.नि.30-119/2021 – 2727 पटना, दिनांक - 21.7.21

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2727 पटना, दिनांक - 21.7.21

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2727 पटना, दिनांक - 21.7.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2727 पटना, दिनांक - 21.7.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2727 पटना, दिनांक - 21.7.21

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/21
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

21.7.21